न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलौदी, जिला जोधपुर

2019/00020

पीठासीन अधिकारी, यशपाल आहुज आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 88,89 आर.टी.एक्ट व 131,136 आर.एल.आर.एक्ट

मुकदमा नम्बर :– 361/19

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
सुन्दरराम पुत्र भंवरलाल जाति मेघवाल निवासी खीचन तहसील फलौदी जिला जोधपुर (राज.)		01. मगाराम पुत्र भंवरलाल जाति मेघवाल निवासी खीचन 02. शारदा पत्नि गुलाबचन्द जाति खटीक निवासी खीचन तहसील फलौदी जिला जोधपुर 03. श्रीमान् तहसीलदार, फलौदी

राजस्व वाद 88,89 आर.टी.एक्ट व धारा 131,136 आर.एल.आर एक्ट

उपस्थिति :–

01. वादी अधिवक्ता श्री रेवन्तसिंह पातावत।

02.प्रतिवादी अधिवक्ता सुमेरसिंह चौहान ।

निर्णय दिनांक :– 23/12/19

वादी ने एक वाद पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी के नाम खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा सं. 308/2 रकबा 23 बीघा 2 बिस्वा किस्म बारानी–4, वादी के भाई प्रतिवादी सं. 1 मगाराम के नाम खसरा सं. 308/9 रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा, एवं प्रतिवादीनी सं. 2 शारदा के नाम खसरा सं. 308/17 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा ग्राम खीचन तहसील फलोदी में स्थित है। मूल खसरा सं. 308 के मूल रकबा की काश्त भूमि विभाजन से पहले संयुक्त खातेदारी की थी और सभी हिस्सेदार ने संयुक्त रूप से खसरा सं. 308/7 एवं 308/8 की भूमि विक्रय कर दी, और मौके पर क्रेता को कब्जा सुपुर्द किया जाने के माफिक बंटवाडा किया जाने पर खसरा सं. 308/7 एवं 308/8 की तरमीम हो रखी है जो मौके पर कब्जा काश्त के माफिक सही एवं दुरूस्त है, परन्तु प्रतिवादी सं. 01 मगाराम के द्वारा अपने बंट की भूमि में से रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा प्रतिवादिनी सं. 2 को विक्रय किया और सह–हिस्सेदारान ने मिलकर वादग्रस्त भूमि का विभाजन करने के वक्त वादग्रस्त भूमि के दक्षिण दिशा में सड़क लगती वादी और प्रतिवादी सं. 1 के नाम के बराबर तथा सड़क के विपरीत दिशा में उत्तर तरफ भी बराबर भूमि बंट में रखी, ताकि सड़क पर आने वाली मूल्यवान और सड़क के विपरीत दिशा में आने वाली कम मूल्यवान भूमि वादी और प्रतिवादी सं. 1 दोनो भाईयों को समान रूप में बंट में रखते हुए मौके पर विभाजन किया। विभाजन सही होने के उपरान्त भी विभाजित की गई भूमि की तरमीम राजस्व कर्मचारियों के द्वारा गलत बताते हुए वादी के बंट में सड़क पर आने वाली भूमि से लगभग दुगुनी भूमि प्रतिवादी सं. 1 के बंट

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) फलोदी

Scanned by CamScanner

में बताकर विभाजन के विपरित गलत तरमीम कर दी। वादग्रस्त भूमि के मौका पर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 का कब्जा काश्त वर्तमान की गई गलत तरमीम से भिन्न है दोनों भाईयों का सड़क पर आई भूमि की दूरी समान है। वादी गलत तरमीम को निरस्त करवाकर वाद पत्र के साथ मौका पर कब्जा काश्त के माफिक नजरी नक्शा में बताई मार्क ए से बी के पूर्वी तरफ की भूमि अपने खातेदारी की कब्जा काश्त की होने की घोषणा करवाकर गलत तरमीम को निरस्त करवाने का हकदार है। प्रतिवादीनी सं. 2 की खसरा सं. 308/17 का कब्जा काश्त मार्क बी सी डी ई के बीच है प्रतिवादीनी सं. 2 की तरमीम वादी की भूमि के कुछ हिस्से में गलत होने से वादी गलत तरमीम को निरस्त करवाने व मौके पर कब्जा काश्त के माफिक तरमीम दुरूस्त करवाने का हकदार है।

वादग्रस्त भूमि वादी के नाम ख.न. 308/3 रकबा 23 बीघा 2 बिस्वा, प्रतिवादी सं. 1 मगाराम के नाम ख.स. 308/9 रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा एवं प्रतिवादीनी सं. 2 शारदा के नाम ख.स. 308/17 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा ग्राम खीचन की गलत तरमीम को निरस्त करवाया जाकर दुरूस्त करवाया जावे। वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में कार्म ए से बी की लाईन से पूर्वी दिशा की भूमि वादी की ख.सं. 308/2 रकबा 23 बीघा 2 बिस्वा खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त की होना घोषित की जावे। नजरी नक्शा में लाईन ए से बी के पश्चिम के ख.सं. 308/9 रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा प्रतिवादी सं. 1 मगाराम की व मार्क बी.सी.डी.ई. के बीच ख.सं. 308/17 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा प्रतिवादीनी सं. 2 की होना माना जावे तथा इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में तरमीम दुरूस्त करवाई जाकर नई तरमीम कायम करवाई जावे एवं राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को वास्ते तामिल सम्मन जारी किए गए। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया गया।

वादी अधिवक्ता की ओर से वादी साक्ष्य हेतु स्वंय वादी सुन्दरलाल को पेश किया गया जिसके बयान कलमबद्ध किए गए। वादी अधिवक्ता द्वारा और साक्ष्य पेश नही करने के कारण वादी साक्ष्य बंद किए गए। चुकि प्रतिवादी द्वारा वादी का वाद स्वीकार कर लिया गया इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नही हुए। पत्रावली को वास्ते बहस रखा गया।

वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रतिवादी सं. 01 मगाराम के द्वारा अपने बंट की भूमि में से रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा प्रतिवादिनी सं. 2 को विक्रय किया और सह-हिस्सेदारान ने मिलकर वादग्रस्त भूमि का विभाजन करने के वक्त वादग्रस्त भूमि के दक्षिण दिशा में सड़क लगती वादी और प्रतिवादी सं. 1 के नाम के बराबर तथा सड़क के विपरीत दिशा में उत्तर तरफ भी बराबर भूमि बंट में रखी, ताकि सड़क पर आने वाली मूल्यवान और सड़क के विपरीत दिशा में आने वाली कम मूल्यवान भूमि वादी और प्रतिवादी सं. 1 दोनो भाईयों को समान रूप में बंट में रखते हुए मौके पर विभाजन किया।

विभाजन सही होने के उपरान्त भी विभाजित की गई भूमि की तरमीम गलत की जाकर वादी के बंट में सड़क पर आने वाली भूमि से लगभग दुगुनी भूमि प्रतिवादी सं. 1 के बंट में बताकर विभाजन के विपरित गलत तरमीम कर दी। वादग्रस्त भूमि के मौका पर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 का कब्जा काश्त वर्तमान की गई गलत तरमीम से भिन्न है दोनों भाईयों का सड़क पर आई भूमि की दूरी समान है। वादी गलत तरमीम को निरस्त करवाकर वाद पत्र के साथ मौका पर कब्जा काश्त के माफिक नजरी नक्शा में बताई मार्क ए से बी के पूर्वी तरफ की भूमि अपने खातेदारी की कब्जा काश्त की होने की घोषणा करवाकर गलत तरमीम को निरस्त करवाने का हकदार है। प्रतिवादीनी

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) फलोदी

Scanned by CamScanner

सं. 2 की खसरा सं. 308/17 का कब्जा काश्त मार्क बी सी डी ई के बीच है प्रतिवादीनी सं. 2 की तरमीम वादी की भूमि के कुछ हिस्से में गलत होने से वादी गलत तरमीम को निरस्त करवाने व मौके पर कब्जा काश्त के माफिक तरमीम दुरुस्त करवाने का हकदार है।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन व मनन वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि वादी के नाम ख. न. 308/3 रकबा 23 बीघा 2 बिस्वा, प्रतिवादी सं. 1 मगाराम के नाम ख.स. 308/9 रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा, एवं प्रतिवादीनी सं. 2 शारदा के नाम ख.स. 308/17 रकबा 2 बीघा 18 विस्वा ग्राम खीचन की ग़लत तरमीम को निरस्त करवाया जाकर दुरूस्त किया जाकर वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में कार्म ए से बी की लाईन से पूर्वी दिशा की भूमि वादी की ख.सं. 308/2 रकबा 23 बीघा 2 बिस्वा खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त की होना घोषित की जाती है। नजरी नक्शा में लाईन ए से बी के पश्चिम के ख.सं. 308/9 रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा प्रतिवादी सं. 1 मगाराम की व मार्क बी.सी.डी.ई. के बीच ख.सं. 308/17 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा प्रतिवादीनी सं. 2 की होना मानकर इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में तरमीम दुरूस्त करवाई जाकर नई तरमीम कायम करवाई जावे एवं राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया किया जावे।

—: आदेश :—

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम खीचन के ख.न. 308/3 रकबा 23 बीघा 2 बिस्वा, प्रतिवादी सं. 1 मगाराम के नाम ख.स. 308/9 रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा, एवं प्रतिवादीनी सं. 2 शारदा के नाम ख.स. 308/17 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा की गलत तरमीम को निरस्त की जाकर संलग्न नजरी नक्शा में मार्क ए से बी की लाईन से पूर्वी दिशा की भूमि वादी के ख.सं. 308/2 रकबा 23 बीघा 2 बिस्वा खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जाती है। नजरी नक्शा में लाईन ए से बी के पश्चिम के ख.सं. 308/9 रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा प्रतिवादी सं. 1 मगाराम की व मार्क बी. सी.डी.ई. के बीच ख.सं. 308/17 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा प्रतिवादीनी सं. 2 की होना माना जाता है। नजरी नक्शा निर्णय का भाग माना जाएगा। इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में तरमीम दुरूस्त कर नई तरमीम करने का आदेश तहसीलदार फलोदी को दिया जाता है इसी माफिक अंतिम डिक्री पर्चा मूर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/12/2019 को सरे इजलास में सुनाया गया।

यशपाल अहूजा (आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) फलोदी

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.01.23 16:46:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: